न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 37 / 2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022 / 44

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. संकेत कोठारी पुत्र श्री शैलेन्द्र कोठारी मैसर्स – कोठारी होम इण्डस्ट्रीज, जी–175 रीको, ठीकरीया, बॉसवाडा
2. श्रीमती रेखा पत्नि श्री शैलेन्द्र कोठारी मैसर्स – कोठारी होम इण्डस्ट्रीज, जी–175 रीको, ठीकरीया, बॉसवाडा
3. शैलेन्द्र कोठारी पुत्र श्री करण सिंह कोठारी मैसर्स रिषभ ट्रेडर्स, जैन मन्दिर के सामने ओसवाल वाडा, बॉसवाडा
4. Lalchand Pareek (Nominee) Jajaraa food & Ingredients Pvt. Ltd. G-42 Akera Dunger Indistrial Area, V.K.I. Area, Road No-18, Jaipur

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 27.06.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 09–06–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 27–10–2021 को 11.00 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स – कोठारी होम इण्डस्ट्रीज, जी–175 रीको, ठीकरीया, बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **संकेत कोठारी पुत्र श्री शैलेन्द्र कोठारी** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **लौंगी मिर्च पाउडर (ब्राण्ड वर) [illegible] पैक पैकेट** एक–एक किलो ग्राम के आम जनता को विक्रय हेतु पाये। [illegible] होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **लौंगी मिर्च [illegible] (ब्राण्ड वर) के चार पैक पैकेट** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 1600 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.06 10:06:06 IST
Reason: SelfAttested

करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **लौंगी मिर्च पाउडर (ब्राण्ड वर) के चारो पैकेट** को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/273–274 दिनांक 29.11.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 262 दिनांक 12.11.21 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **लौंगी मिर्च पाउडर (ब्राण्ड वर)** का नमुना अमानक Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **लौंगी मिर्च पाउडर (ब्राण्ड वर)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 09–06–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 27.06.2022 को अप्रार्थीगणो ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/273–274 दिनांक 29.11.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 262 दिनांक 12.11.21 अनुसार विक्रेत से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **लौंगी मिर्च पाउडर (ब्राण्ड वर)** का नमुना अमानक Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अ किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होता हैं। इस कारण प्रकरण का अंति निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.06 10:06:06 IST
Reason: SelfAttested

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत ब्स्टैण्डर्ड **लौंगी मिर्च पाउडर (ब्राण्ड वर)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक धेनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया या। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर संकेत कोठारी पुत्र श्री शैलेन्द्र ठारी मैसर्स – कोठारी होम इण्डस्ट्रीज, जी–175 रीको, ठीकरीया, बॉसवाडा को रूपये 10,000/– क्षरे रू दस हजार मात्र), श्रीमती रेखा पत्नि श्री शैलेन्द्र कोठारी मैसर्स – कोठारी होम इण्डस्ट्रीज, ी–175 रीको, ठीकरीया, बॉसवाडा को रूपये 10,000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र), शैलेन्द्र ोठारी पुत्र श्री करण सिंह कोठारी मैसर्स रिषभ ट्रेडर्स, जैन मन्दिर के सामने ओसवाल वाडा, बॉसवाडा ो रूपये 10,000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र), Lalchand Pareek (Nominee) ajaraa food & Ingredients Pvt. Ltd. G-42 Akera Dunger Indistrial Area, V.K.I. Area, Road No-18, Jaipur को रूपये 25,000/– (अक्षरे रू पच्चीस हजार मात्र) के अर्थ ़ण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू ंख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 300–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.06 10:06:06 IST
Reason: SelfAttested